न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2022 (निगरानी पंचायत)

GCMS No : 2022/3

अनवान

1. श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व. श्री छगनलाल जैन, निवासी होली चौक, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री पारस पिता स्व. श्री छगनलाल जैन, निवासी होली चौक, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री विपीन पिता स्व. श्री छगनलाल जैन, निवासी होली चौक, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री शान्तिलाल पिता स्व. श्री अमरचन्द जैन, निवासी होली चौक, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
4. ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जरिये सरपंच ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री लक्ष्मीलाल जैन, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव पट्टा जारी आदेश दिनांक 19.06.2013 (पट्टा संख्या 13158 मिसल संख्या 10/2013)

* निर्णय *

दिनांक– 06-12-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 व 2 के पति एवं पिता छगनलाल के एवं विपक्षी सं. 3 के पिता अमरचन्द के पिताजी श्री डालचन्दजी की मौरूसी सम्पत्ति गांव ऋषभदेव पंचायत समिति खेरवाडा में आबादी क्षैत्र में स्थित मकान है जो कि प्रार्थीया एवं विपक्षीगण स. 1 व 3 का मौरूषी होकर उक्त मकान के पडौस पूर्व में लक्ष्मीलाल की मकान, पश्चिम में देवेन्द्र पिता बालचन्द का मकान,

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested

उत्तर में कुवारी नदी, दक्षिण में होली चौक उक्त चारो पडौसान के मध्य स्थित मकान जिसका कुलिया क्षैत्रफल 350 वर्गफीट है जो कि बिलानाम आबादी के आराजी नम्बर गांव धुलेव के आराजी नम्बर 2133 रकबा 1080 बिलानाम आबादी में स्थित है। उक्त मकान मूलरूप से डालचन्द जैन का था डालचन्द के दो पुत्र छगनलाल व अमरचन्द हुए डालचन्द के फौत होने के बाद डालचन्द की सम्पति में छगनलाल एवं अमरचन्द का 1/2 –1/2 हिस्सा निहित हुआ। उक्त मकान बापोती होकर के मोरूषी सम्पति चली आ रही है। जिसमें प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 व 2 के पिता का मौरूषी की हैसियत से 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 3के पिता का 1/2 हिस्सा तथा उनके फौत होने के बाद विपक्षी सं. 3 का 1/2 हिस्सा निहित हुआ। उक्त मकान पूर्व में कच्चा केलु पोस था जो कि प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 व 2 के मौरूषी सम्पति थी। जिसका आज दिनांक तक कानूनी बटवाडा नहीं हुआ तथा समस्त सम्पत्तियां अविभाजित होकर मौरूषी चली आ रही है। विपक्षी सं. 3 द्वारा बिना प्रार्थीया एवं पिपक्षी सं. 1, 2 को बताये ग्राम पंचायत ऋषभदेव से मिलीभगत कर ग्राम पंचायत से उक्त मकान को बापोती एवं 50 वर्षो से अधिक का कब्जा बताकर दिनांक 19.06.2013 को पट्टा प्रापत कर लिया जो गलत है। विपक्षी सं. 3 को अकेले के नाम पट्टा लेने का कोई अधिकार प्राप्त नही था, इसलिये उक्त पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत कथित पट्टा जारी करने में भारी भूल की है, क्योंकि न तो उक्त मकान विपक्षी सं. 3 के पिता का खरीदा हुआ था, न ही ऐसा कोई दस्तावेज ही था जिसमे विपक्षी स. 3 का निजी पट्टा दिया जावे। पट्टे जारी करने में न ही प्रार्थीया व विपक्षी सं. 1 व 2 की परमिशन ली गई, न उन्हे सूचना दी गई, न उन्हे सुना गया , न किसी प्रकार से मौके पर जांच की गई और ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी सं. 3 के प्रभाव में आकर उक्त पट्टा विपक्षी सं. 3 के नाम पर जारी कर दिया जो कानूनी सिद्धान्तो के विपरीत होकर काबिल निरस्त के है। उक्त तथ्य की जानकारी विपक्षी सं. 3 द्वारा लडाई झगडा करने व ग्राम पंचायत से पट्टे की नकल प्राप्त करने पर पता चला जिस पर उक्त निगरानी आप न्यायालय में प्रस्तुत की जो अन्दर मयाद होना बताकर प्रार्थीया की निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा जारी पट्टा दिनांक 19.6.2013 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर पट्टे को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 3 द्वारा जवाब पेश कर सम्भव आपत्ति दर्ज करते हुए निवेदन किया कि उक्त सम्पति को लेकर प्रार्थीया ने विभाग एवं स्थाई निषेधाज्ञा सिविल वाद पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested

कर रखा है जिसमें जवाब भी पेश कर दिया है। डालचन्द जी के स्वर्गवास के बाद दोनो भाईयों छगनलाल व अमरचन्द ने अपने जीवनकाल में दिनांक 17.02.2000 को आपसी बटवाडा कर लिया था उसी बटवाडे के आधार पर विपक्षी सं. 3 ने ग्राम पंचायत से नियमानुसार पट्टा प्राप्त किया है। प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 व 2 ने दुर्भिसंधि कर जवाब भी इकबालिया होने से प्रकरण विधिसम्मत नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। विपक्षी सं. 3 ने नियमानुसार पट्टा प्राप्त कर पंजीयन कराया, नियमानुसार शुल्क भी ग्राम पंचायत मे जमा कराया है। प्रार्थीया ने उक्त सम्पति को लेकर माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश खेरवाडा में प्रकरण दर्ज कराया है जो विचाराधीन है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र भी आप न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से काबिल निरस्त है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निराधार होने से निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मौरूसी जायदाद थी, ग्राम पंचायत से मिलिभगत कर पट्टा प्राप्त किया है। प्रार्थीया मुम्बई में रहती है, प्रार्थीया से कोई आपत्ति नहीं मांगी गई। जानकारी में आते ही नकल प्राप्त कर अपील पेश की है। बंटवाडे का दावा सिविल कोर्ट में चल रहा है। कोई सबूत दस्तावेज नहीं होने का अंकन ग्राम पंचायत की आदेशिका में है। प्रकरण को स्वीकार कर पट्टे को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि आदेश की अपील पंचायत समिति में होगी। प्रारम्भिक आपत्ति अनुसार सिविल न्यायालय में वाद अपीलार्थी द्वारा 2017 में पेश किया जो वर्तमान में विचाराधीन है। आपस में पारिवारिक समझौता दिनांक 17.02.2000 को हुआ जिसमें दोनो भाईयों के हस्ताक्षर थे। इसी अनुसार सभी काबिज है पट्टा भी इसी आधार पर बना है। एक ही विषयवस्तु को लेकर दो न्यायालय में नहीं चल रहा है। पट्टा विधिवत जारी किया गया है निगरानी निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। रेकर्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उक्त निगरानी विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गयी है एवं मयाद कंडोन किये जाने हेतु धारा 5, मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उभय पक्ष को सुनने एवं दस्तावेज के अवलोकन उपरान्त यह स्पष्ट है कि प्रकरण मे पट्टे के सही [illegible] नियमानुसार जारी होने अथवा न होने के बिन्दु को तय किया जाना हैं तथा पट्टा सही है या नहीं, यह तथ्य मेरिट पर ही तय किया जा सकता हैं। न्यायहित में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कंडोन की जाकर मेरिट पर प्रकरण निर्णित किया जाना हम उचित समझते है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5, मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कंडोन किया जाता है।

मूल प्रकरण अनुसार ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा दिनांक 19.06.2013 को जारी पट्टे को निरस्त कराने हेतु निगरानी पेश की गई है। हमने निगरानीकर्ता के अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। ग्राम पंचायत ऋषभदेव से प्राप्त पत्रावली संख्या 10/2013 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम धूलेव की आराजी संख्या 2133 रकबा 10.80 है. किस्म आबादी में निगरानीकर्ता का मकान कुल क्षेत्रफल 2350 वर्गफिट स्थित है। ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा उक्त मकान का पट्टा 19.06.2013 जारी किया गया हैं। पट्टे का आवेदन विपक्षी सं. 3 श्री शान्तिलाल पिता स्व. अमरचन्द द्वारा किया गया जो ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा पत्रावली सं. 10/2013 दिनांक 30.05.2013 को दर्ज कर प्रकरण में दिनांक 19.06.2013 को पट्टा जारी किया गया है। पट्टे की पत्रावली में दिनांक 07.06.2013 को पर्चा मौका बनाया जो संलग्न है। पर्चा मौका अनुसार उक्त मकान को शान्तिलाल का पुस्तैनी मकान होने का अंकन किया है। प्रार्थीया का भी यही तर्क है कि उक्त मकान पुस्तैनी था जिसमें प्रार्थीया से किसी भी प्रकार की सहमति को प्राप्त किये बिना ही पट्टा जारी कर दिया गया है। दोनो ही पक्षो नें उक्त मकान के पुस्तैनी होने के तथ्यों को स्वीकार किया है। विपक्षी सं. 3 का तर्क है कि उक्त मकान उसे पारिवारिक सहमति विभाजन से मिला है। परन्तु विपक्षी सं. 3 द्वारा जो दस्तावेज पेश किये है वह केवल मात्र खाम कागज पर लिखा हुआ है। किसी भी प्रकार का रजिस्टर्ड बंटवाडा का दस्तावेज पेश नहीं किया है। मौरूसी सम्पति होने से सभी विधिक वारिसान का हक अधिकार निहित रहता है। विपक्षी सं. 3 द्वारा पट्टे हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रार्थीया को सुना जाना आवश्यक था, प्रार्थीया को बिना सुने ही विपक्षी के पक्ष में पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ऋषभदेव ने विधिक भूल की है। चूंकि उक्त भूमि पैतृक होने से प्रार्थीया ने माननीय सिविल न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। मकान को लेकर मालिकाना हक माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय अनुसार तय हो पावेगा। वर्तमान में उक्त मकान पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीया को बिना सुने विपक्षी सं. 3 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्व ग्राम पंचायत ऋषभदेव का स्वीकार किया जाकर तत्कालीन ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा जारी पट्टा मिसल सं. 10/2013 द्वारा विपक्षी संख्या 3 श्री शान्तिलाल पिता स्व. अमरचन्द जैन के पक्ष में मौजा धुलेव के आराजी नं. 2133 रकबा 10.80 है. में जारी पट्टा संख्या 13158 दिनांक 19.06.2013 निरस्त किया जाता है। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका ऋषभदेव संबन्धित हितधारी/सभी विधिक वारिसन को सुनकर नवीन पट्टा जारी करने हेतु स्वतन्त्र है। निर्णय की एक—एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. ऋषभदेव को प्रेषित की जावे एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका ऋषभदेव को मूल पत्रावली मिसल संख्या 10/2013 मय निर्णय पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested